प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 06.09.2024

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा छेड़छाड़ व दुष्कर्म का प्रयास में आरोपी वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 26.08.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर वादी द्वारा लिखित सूचना दी कि उसके घर पर किराये पर रहने वाला एक लड़का मनोज जो मूल रुप से बिहार का रहने वाला है उसके द्वारा उसकी पुत्री के साथ कई बार छेड़छाड़ की गयी तथा बाहर आते-जाते उसका पीछा किया गया, उसको ऐसा न करने के लिए कहने पर उसके द्वारा गाली-गलौच करते हुए धमकी दी गयी । इस सूचना पर तत्काल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गई तो जांच से यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि अभियुक्त मनोज द्वारा वादी की पुत्री के साथ दुष्कर्म का प्रयास भी किया गया । जिसमें थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा घटना कारित करने वाले अभियुक्त की तलाश हेतु टीमों का गठन किया गया ।

तत्पश्चात आज दिनांक 06.09.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त घटना के वांछित अभियुक्त मनोज पुत्र बौधुमाथुर निवासी ग्राम हररा बेगुशराय बिहार उम्र 21 वर्ष को सुदामापुरी थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मैं वादी के घर पर किराये पर निवास करता था। जिस कारण वादी की पुत्री से कभी-कभी बात हो जाती थी । धीरे-धीरे मेरा लगाव वादी की पुत्री से हो गया तथा जब वह कही बाहर जाती तो मैं भी उसके पीछे पीछे चला जाता, परन्तु वादी की पुत्री मुझे नही चाहती थी, जिस कारण मुझे उस पर गुस्सा आ गया तथा मैंने उसके साथ गाली-गलौच कर दी तथा जान से मारने की धमकी दी तथा उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास भी किया । उसके बाद ये सब बातें पीड़िता के परिजन को पता चल गयी जिससे उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया था ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

मनोज पुत्र बौधुमाथुर निवासी ग्राम हररा थाना कोतवाली जिला बेगुशराय बिहार, उम्र 21 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा रास्ता भटक कर परेशान घूम रही महिला को परिवारीजन से मिलवाया।

थाना लोनी पुलिस टीम को गश्त के दौरान दिनांक 05.09.2024 को रास्ता भटक जाने पर गुमशुदा हालात में एक महिला उम्र करीब 32 साल निवासी ग्राम मिसलघड़ी थाना अतरौली जिला अलीगढ़, चौकी क्षेत्र लोनी तिराहा क्षेत्र में मिली थी। जिनसे पूछने पर वर्तमान निवास स्थान लोनी में कहीं रहना बताया। जिन्हें अपने वर्तमान निवास के बारे मे कोई जानकारी न होने के कारण कुछ पता नही हो पा रहा था और न ही उनके पास किसी परिवारीजनों का मोबाईल नम्बर था। पूछने पर बताया कि काम के सिलसिले में मुझे मेरे रिश्तेदार ने लोनी में बुलाया था मैं लोनी में तो आ गयी थी परन्तु मुझे उनके घर का पता नही मालूम था इसलिये रास्ता भटक गई थी। थाना लोनी पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से गुमशुदा महिला के परिजनों की तलाश कर सकुशल परिवारीजन के सुपुर्द किया गया।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा अवैध शराब के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 06.09.2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान चौकी क्षेत्र रामपार्क से अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का बेचने वाले अभियुक्त मोमीन पुत्र कपूरा निर्मल हाल निवासी बंसल चौक रामपार्क एक्सटेंशन थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद व मूल पता ग्राम बावली पोस्ट बड़ौत थाना बड़ौत जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से कुल 41 पव्वे अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद हुई। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण</u>

अभियुक्त मोमीन उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि मैं चोरी छिपे हरियाणा से सस्ते दामों पर शराब लाकर कुछ रूपयों के लालच में यहां शराब पीने वाले लोगों बेच देता हूँ। जिससे मैं अपने शौक पूरे करता हूँ।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता</u>

मोमीन पुत्र कपूरा निर्मल हाल निवासी बंसल चौक रामपार्क एक्सटेंशन थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद व मूल पता ग्राम बावली पोस्ट बड़ौत थाना बड़ौत जनपद बागपत, उम्र करीब 32 वर्ष

<u>अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग</u>

अभियुक्त के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है।

<u>बरामदगी का विवरण</u>

कुल 41 पव्वे अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद।

<u>गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम</u>

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा मिनी ट्रैवलर बस में बैठकर घूमते हुये टैली कॉलिंग कर क्रेडिट कार्ड धारकों को रिवार्ड पाइन्ट रिडीम करने का लालच देकर व उनको अपनी बातों में फसाकर साइबर ठगी करने वाले 03 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से साइबर ठगी में प्रयुक्त 13 की-पैड मोबाइल फोन, 07 एन्ड्रॉइड मोबाइल फोन, 04 चेक बुक व अन्य दस्तावेज आदि बरामद।

दिनांक 05.09.2024 को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा रात्रि गस्त के दौरान संदिग्ध दिखने पर मिनी बस में बैठे लोगों से पुछताछ की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आए कि कुछ व्यक्तियों द्वारा मिनी बस फोर्स ट्रेवलर सुपर में बैठकर क्रेडिट कार्ड धारकों को टैली कॉलिंग कर क्रेडिट कार्ड से सम्बन्धित पाइन्ट रिडीम करने का लालच देकर लिंक के माध्यम से कार्ड धारकों के साथ वित्तीय धोखाधड़ी करने वाले 03 अभियुक्तगण 1. सुशांत कुमार पुत्र सुरेश कुमार निवासी प्लाट नं0-111 नन्द विहार द्वारका सेक्टर 16 दिल्ली स्थायी पता तिरेवेंद्रम केरल 2. सन्नी कश्यप पुत्र ओमवीर निवासी – डी 632 विकास कुँज,फारुखनगर थाना टीलामोड़ गाजियाबाद व 3. अमन गोस्वामी पुत्र घनश्याम निवासी राजनगर कॉलोनी गली नं0-04 लोनी बार्डर को ग्रीन बैल्ट रोड 5/6 की पुलिया के पास इन्दिरापुरम गिरफ्तार कर कब्जे से 13 की-पैड मोबाइल फोन नोकिया व एचएमडी कम्पनी, 07 एन्ड्रॉइड फोन भिन्न-भिन्न कम्पनियों के व 02 कापियाँ दस्तावेज, 16 सिम कार्ड अलग-अलग कम्पनी के, 30 बैट्रियाँ, 31 अन्य पेज जिनपर क्रिडिट कार्ड धारकों के नाम सहित मोबाइल नम्बरों का डाटा उपलब्ध, 04 चेक बुक व 03 कापियाँ किराया एग्रीमेन्ट बरामद। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>अपराध करने का तरीका</u>

गिरफ्तार अभियुक्तगणों से उनके काम करने के तरीके के बारे में पूछा तो उन्होने बताया कि हम टैली कॉलिंग का काम करते है। जिसमें हमें बताये अनुसार दिल्ली, गाजियाबाद के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से अपने आसपास के स्थान पर ट्रेवलर मिनी बस में बैठना होता था जो कि इन्द्रापुरम में लेकर जाती थी जो अलग-अलग जगह पर रुकती थी। जिसमें हमें प्रिंट निकले हुये कागज दिये जाते है। जिनपर क्रेडिट कार्ड धारकों के नाम व मोबाइल नम्बर अंकित होते है। जिन पर हमें कॉल करना होता है। जिसमें हमें की-पैड मोबाइल फोन व एन्ड्राएड मोबाइल फोन मय सिम कार्ड दिये जाते है। जो कि चालू स्थिति में होते है। जिनसे हमे कार्डधारको को कॉल करना होता है।उन्हे रिवार्ड पाइन्ट रिडीम करने का लालच दिया जाता है। जिसमें लोगो की मदद करने के बहाने हम उन्हें अपनी बातो में फंसाकर IMOBILEPAY WWW.MYIMOBILE.IN/ICICI BANK www.logincard/icici.co.in जैसे फर्जी पोर्टल बनवाकर उनसे डिटेल डलवाते है। जिसमें उनकी सारी डिटेल हमारे पास आ जाती है। जिसे हम बाद में अपनी बनायी फर्जी साइट/यूजर इंटरफेस के माध्यम से रीडिम करा लेते है। जिससे हम कुछ भी शांपिंग कर लेते है। कुछ पैसा बैंक खातों में ट्रासंफर करा लेते है जो कि हम चेक के माध्यम से निकाल लेते है। जिसका हमें दिये टारगेट के अनुसार इंसेटिव मिलता है जो हमारे कहे अनुसार अपनी डिटेल नही देता है। हमें उनके साथ अभद्र भाषा बोलने के के लिये कहा जाता है। उपयोग में होने वाले बैंक खातो के बारे में जानकारी करने पर बताया कि सर हम फर्जी किराया एग्रीमेंन्ट बनवाकर पेन कार्ड व खाते खुलवा लेते है। जिन्हें हम लोग धोखाधड़ी के पैसों को निकालने के लिए उपयोग में लेते है।

<u>पूछताछ का विवरण</u>

गिरफ्तार अभियुक्तगणो से पूछताछ की गयी तो बताया कि अन्य 07 लोग भी है जो इसी बस में बैठकर टैली कॉलिंग का कार्य करते है। जिसमें एक लडकी हम सबको यह डाटा उपलब्ध कराती है तथा हमारे साथ यही पर

हमसे उपलब्ध डाटा में क्रेडिट कार्ड धारकों के मोबाइल नम्बर पर कॉल कराकर उन्हें रिवार्ड पाइन्ट रिडीम करने का झाँसा देकर उनके साथ वित्तीय धोखाधड़ी करवाती है। एक लडका हमें मोबाइल फोन व सिम उपलब्ध कराता है। बस में मौजूद लोगो से अन्य लोगों की जानकारी करने पर सभी ने बताया कि अन्य लोग भी है जो कि यहीं गाजियाबाद व दिल्ली के आसपास के रहने वाले है। हमारे साथ ही काम करता है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता

1. सुशांत कुमार पुत्र सुरेश कुमार निवासी प्लाट नं0-111 नन्द विहार द्वारका सेक्टर 16 दिल्ली स्थायी पता तिरेवेंदरम केरल उम्र 30 वर्ष।
2. सन्नी कश्यप पुत्र ओमवीर निवासी – डी 632 विकास कुँज ,फारुखनगर थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष।
3. अमन गोस्वामी पुत्र घनश्याम निवासी राजनगर कॉलोनी गली नं0-04 लोनी बार्डर गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

- 13 की-पैड मोबाइल फोन नोकिया व एचएमडी कम्पनी, 07 एन्ड्रॉइड फोन भिन्न-भिन्न कम्पनियों के व 02 कापियाँ दस्तावेज, 16 सिम कार्ड अलग-अलग कम्पनी के, 30 बैट्रियाँ, 31 अन्य पेज जिनपर क्रिडिट कार्ड धारकों के नाम सहित मोबाइल नम्बरों का डाटा उपलब्ध, 04 चेक बुक व 03 कापियाँ किराया एग्रीमेन्ट बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना इन्दिरापुम पुलिस टीम।

थाना विजयनगर पुलिस टीम व स्वाट टीम नगर जोन द्वारा अपहरण की घटना का किया अनावरण व 02 अभियुक्त गिरफ्तार, अपहृत अपनी कार फॉर्च्यूनर सहित बरामद।

दिनांक 05.09.2024 को वादी झगड़ू सिंह निवासी चिपियाना बुजुर्ग थाना बिसरख जनपद नोएडा द्वारा दी गयी तहरीर जिसमें वादी के पुत्र प्रवीण उम्र 35 वर्ष को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अपहरण कर ले जाने की सूचना पर थाना विजयनगर पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओ मे अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण –

घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया सभी टीमों द्वारा अभियोग में तत्काल कार्यवाही करते हुये अथक प्रयास, एवं सर्विलांस की सहायत आज दिनांक 06.09.2024 को जनपद मथुरा थाना फरहा क्षेत्र के जंगल से 01 अभियुक्त मनीष पुत्र राजेंद्र निवासी गौर सिटी, थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर, व 2. सुरेन्द्र

उर्फ सौरभ पुत्र अर्जुन निवासी गढ़ी बैरी थाना फरह, जिला मथुरा को गिरफ्तार किया गया तथा अपहृत प्रवीण पुत्र झगड़ू सिंह निवासी चिपियाना बुजुर्ग थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर को गाड़ी फॉर्च्युनर (UP16EH 7700) के साथ सकुशल बरामद किया गया तथा 04 व्यक्ति मौके से फरार । घटना में अभी तक 06 अभियुक्तगण 1. मनीष 2. राहुल गुप्ता , 3. सुरेन्द्र उर्फ सौरभ , 4.पुष्पेन्द्र , 5. हितेश चौधरी 6. मनोज प्रकाश में आये है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

मनीष पुत्र राजेंद्र निवासी गौर सिटी, थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र 36 वर्ष।
सुरेन्द्र उर्फ सौरभ पुत्र अर्जुन निवासी गढ़ी बैरी थाना फरह, जिला मथुरा उम्र 32 वर्ष।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि अपहृत प्रवीण एक यूट्युबर है जिसके लगभग 03 लाख सब्सक्राईबर है। जिसके द्वारा इंस्टाग्राम पर (शोसल मीडिया) के माध्यम से तिरंगा गेमिंग एप्प का प्रमोशन करता था जिसके चलते काफी लोगो द्वारा तिरंगा गेमिंग एप्प में अपना पैसा लगा दिया। जिसमें साथी राहुल गुप्ता का भी काफी पैसा डूब गया था। जिस कारण मैंने तथा राहुल गुप्ता , सुरेन्द्र , मनीष , हितेश चौधरी ने मिलकर प्लान बनाकर अपना पैसा वापस लेने के लिये प्रवीण को इंडियन आयल हाईवे के पास अपनी इको स्पोर्ट्स से उसकी गाड़ी फॉर्च्यूनर को रोककर उसका अपहरण कर लिया था तथा उसकी फॉर्च्यूनर गाड़ी में प्रवीण को लेकर मथुरा जा रहे थे। मैं प्रवीण की फॉर्च्यूनर गाड़ी में था तथा ईको कार में सुरेन्द्र , हितेश मनोज व पुष्पेन्द्र बैठे थे। जब हम लोग मथुरा से आगे पहुंचे तो पुलिस द्वारा हमारी एक गाड़ी ईको को रोक लिया था। मैं डर के कारण फॉर्च्यूनर पीछे मोड़कर भाग गया था। लेकिन आज दिनांक 06.09.2024 को थाना विजयनगर पुलिस द्वारा मुझे पकड़ लिया।

अपराधिक इतिहासः-

अभियुक्त **मनीष** उपरोक्त पर - 06 अभियोग कमिश्नरेट गाजियाबाद में व 01 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में कुल 07 अभियोग पंजीकृत है।
अभियुक्त **सुरेन्द्र** उपरोक्त पर – 04 जनपद मथुरा पर पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

स्वाट टीम नगर जोन

थाना विजयनगर पुलिस टीम।